


राजस्थान सरकार
शिक्षा-विभाग

कार्यालय, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक :- एफ (20) आकाशि / पॉलिसी / नि.सं. / 2019 / 175 दिनांक:- 23/7/19

आदेश

सत्र 2019-20 में नवीन महाविद्यालय स्थापित करने के लिए किये गये आवेदनों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अन्तिम तिथि में 31 जुलाई 2019 तक अभिवृद्धि की जाती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचानार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(निजी संस्थाएं.)